# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

## सूचना-पत्र

20 MAR 2025

क्रमांक-C/2454-लेखा/2025 जबलपुर, 20 मार्च, 2025

आदेशानुसार, रजिस्ट्री के समस्त द्वितीय, तृतीय/चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नई टैक्स रिजीम वित्त वर्ष 2025-2026 के लिये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। साथ ही, जो भी शासकीय सेवक पुरानी टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं, वे पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प चयन कर सकते हैं। उनका कर निर्धारण पुरानी टैक्स रिजीम के अनुसार किया जावेगा।

अतएव, निर्देशानुसार, जो भी द्वितीय, तृतीय/चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक पुरानी टैक्स रिजीम का चयन करना चाहते हैं वे दिनांक 25.03.2025 तक लेखा शाखा में सहायक वेतन देयक के पास उपलब्ध रजिस्टर में अपनी अनुमानित बचतों का उल्लेख करेंगे, ताकि तद्नुसार मार्च, 2025 से आयकर कटौत्रा प्रारंभ किया जा सके। साथ ही इन बचतों के प्रमाण दिनांक 10.01.2026 तक अनिवार्यतः जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

पुरानी टैक्स रिजीम चयन करने वाले शासकीय सेवकों के अतिरिक्त अन्य सभी शासकीय सेवकों हेतु नई टैक्स रिजीम के अनुसार करनिर्धारण कर माह मार्च 2025 से आयकर कटौत्रा प्रारंभ किया जावेगा।

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)